



पत्रांक सं०-यूईपीपीसीबी/एच.ओ./सा-325/ 9741-1880

दिनांक- 11-3-2016

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा बिजनेस रिफार्म एक्शन प्लान के अन्तर्गत निम्न निर्देश दिये जाते हैं।

1. उद्योगों के सहमति आवेदन पत्र निस्तारित किये जाने हेतु निम्नानुसार अधिकतम समय सीमा निर्धारित की जाती है।-


हरी श्रेणी के उद्योग - 30 दिन।

नारंगी श्रेणी के उद्योग - 60 दिन।

लाल श्रेणी के उद्योग - 90 दिन।


2. समस्त निरीक्षण अधिकारियों द्वारा उद्योग का निरीक्षण करने के पश्चात 48 घण्टों की समय सीमा में उद्योग की निरीक्षण आख्या Online Consent Management System में अपलोड की जाये।
3. CTE/CCA आनलाईन स्वीकृत होने के उपरान्त उद्योग को निर्गत की जाने वाली हस्ताक्षरित हार्ड कापी मुख्यालय/क्षेत्रीय कार्यालय के डिस्पैचर द्वारा Online Consent Management System में अपलोड की जाये। इसके लिए क्षेत्रीय अधिकारी एन.आई.सी., गुजरात से E-Talk कर संबंधित कार्मिक की आई.डी. प्राप्त किया जाना सुनिश्चित करें।

उपरोक्त आदेश तुरन्त से प्रभावी होंगे।


(विनोद सिंघ) / H
सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
2. श्री हरीश आडवानी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., गुजरात।
3. युनिट हेड, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/प्रभारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
5. श्री राजेश कुमार, कनिष्ठ सहायक, मुख्यालय को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे मुख्यालय स्तर पर CTE/CCA की hardcopy ससमय अपलोड किया जाना सुनिश्चित करें।
6. गार्ड फाईल।


पर्यावरण अधिकारी

016